न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मुख्यालय ईस्माईलपुर)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
160/21	28.10.21	15.12.21

उनवान

1.अजय चौधरी पुत्र श्री हीरालाल चौधरी जाति जाट निवासी नीमलाका तह0 कोटकासिम हाल निवासी किशनगढबास तह0 किशनगढबास अलवर राज0 :– वादीः–

बनाम

1. राज0 सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राज0

:–प्रतिवादीः–

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0

निर्णय

आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान में पेश हुई । दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः– राजस्व ग्राम देवता तहसील किशनगढबास में स्थित हाल आराजी ख0न0 558 रकबा 0.21 हे0 में से 09/51 हिस्सा अर्थात 0.03 बिस्वा चा0दो0 , 582/830 रकबा 0.11 हे0 ब्रा0प्र0 सालिम किता दो रकबा 0.12 बिस्वा दर्ज खाता संख्या 268, 259 जमाबन्दी संवत 2076 के अनुसार वादी एवं दीगर परिवारजनो की सयुक्त खातेदारी वो कब्जा काश्त की पैत्रिक आराजी दर्ज रिकार्ड है। जो आराजी मौजूदा वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। नकल जमाबंदी संवत 2076 संलग्न वाद पत्र है। विवादित आराजी वादी वो उसक परिवारजन की सगी दादीजी मोहरली उर्फ मोहरकौर बैवा श्री मोहलराम जाट निवासी नीमलाका की खातेदारी की आराजी रही है। जो जरिये नामांन्तकरण विरास्त सं0 1480 दिनांक 22.5.2012 को प्राप्त हुई है। जिसमें वादी व वादी के सगे चाचा भूपेश पुत्र मोहलडराम, सगी बुआजी कमला, बीरमति, शारदा पुत्रीयान मोहलडराम व सगी चाची रजनी बैवा अभयसिंह, चचेरे भाई बहिन समीरसिंह, संदीप पुत्रान अभयसिंह, सीमा पुत्री अभयसिंह एवं भानजे विकास, आकाश पुत्रान श्रीमती सुमन, शिप्रा चौधरी पुत्री श्रीमति सुमन पुत्री हीरालाल तथा सगे भ्राता विरेन्द्र पुत्र हीरालाल व सगी बहन शशी चौधरी पुत्री हीरालाल जाति जाट निवासी नीमलाका तह0 कोटकासिम की दर्ज हिस्सा जमांबदी अनुसार संयुक्त कब्जा काश्त की पैत्रिक आराजी है। नकल इंतकाल 1480 संलग्न वाद पत्र है। मृतक दादीजी मोहरली उर्फमोहर कौर बेवा मोहलडराम जाति जाट निवासी नीमलाका उपरोक्त आराजी पर अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रही, तथा पैत्रिक आराजीयात स्थित ग्राम नीमलाका तहसील कोटकासिम में भी दादाजी माहरकौर की खातेदारी दर्ज रिर्काड थी । चूकि वादी वो उनके पिता काफी समय से किशनगढबास में विस्थापित हो गये। मृतक मोहर कौर के छः संतान जिनमें से तीन पुत्र व तीन पुत्रीयान है जिनमें से तीनो पुत्रियन

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

जीवित है तथा एक पुत्र जीवित है जिसका नाम भूपेश कुमार है हीरालाल व अभयसिंह पुत्रान मोहल्डराम दोनो फौत हो चुके है। पक्षकारान में पारिवारिक विभाजन के तहत पैत्रिक गांव नीमालाका की आराजीयात कुल चाचा भूपेश व अभयसिंह के हिस्से में दे दी गई। जिस पर उनके वारिसान काबिज है। ग्राम देवता की काश्त आराजीयात जिसमें विवादित आराजी भी शामिल है को पारिवारिक समाझौताा के तहत वादी को प्राप्त हो गई। जिसकी बाबत समस्त हिस्सेदारान/सहखातेदारन ने आपसी सहमति वो स्वेच्छा से दिनांक 15.2.2013 को विवादित सालिम आराजी की बाबत पारिवारिक समझौता तहरीर कराकर अपने–2 हस्ताक्षर करते हुए नौटेरी पब्लिक से तस्दीक कराकर वादी को सौंप दी। अलबत्ता आराजी उपरोक्त पर पारिवारिक समझौता से काफी समय पूर्व से ही वादी तन्हां रू॰ से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा दादी जी मोहरकौर के जीवनकाल में ही काबिज हो गया था। आराजी उपरोक्त पर दीगर सहखातेदारान की जानकारी मे वादी अकेला काबिज काश्त होकर समस्त कृषि विकास निजी लागत खर्चे से कराता आ रहा है । इसलिए वादी की बाई ऑपरेशन आफ ला खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है।

अतः वादी पारिवारिक समझोता दिनांक 15.2.13 के तहत मोजूदा इन्द्राज जमाबन्दीयात को कलमजन कराकर अपने नाम का अंकन खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः दावा इश्तकराहक प्रस्तुत करना लाजिम आया है। विवादित आराजी से दीगर सहखातेदारान का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार गत 20–25 साल से नही रहा जो गैरकाबिज गैरवास्ता है। चूकिं दीगर परिवारजन/सहखातेदार सिलसिले रोजगार राजस्थान प्रान्त से बाहर यत्र तत्र विस्थापित है। जिन सभी का स्वेच्छा से विरासत इंतकाल सं0 1480 दिनांक 22.5.12 के बाद गांव में इकठठा होने पर स्वेच्छा से समझौता दिनांक 15. 2.13 कराया हुआ है। जो असल समझौता संलग्न वादपत्र किया जा रहा है। आज दिनांक तक भी सहखातेदारान का कोई कब्जा काश्त विवादित आराजी पर नही है, बल्कि सालिम पर वादी काबिज है। अतः वादी अपने नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबदी में अंकित कराने का अधिकारी है। आराजी ख0न0 558 रकबा 0.21 में से 42/51 हिस्सा यानि रकबा 0.14 बिस्वा भूमि के खातेदारन राजदीप ढिल्लन, विरेन्द्र, भुल्लर, हरिता ढिल्लन समभाग के मालिक काबिज है, जो अपने हिस्से आराजी पर अलहेदा से काबिज है। उनके विरूद्व वादी ने मौजूदा वाद में कोई अनुतोष नही चाहा है। अतः उन्हे मौजूदा वाद में फरीक मुकदमा नही बनाया गया है। मौजूदा इन्द्राज के रहने से वादी ने कानूनी हितो पर कुठाराघात हो है। ऐसी सूरत में वादी मौजूदा अंकन का नल एण्ड वाईड करार दिलाने का अधिकरी है।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः–

अ. यह है कि डिक्री इश्तकाराहक दुरूस्ती पारित की जाकर करार दिया जावें कि वादी आराजी ख0न0 558 रकबा 0.21 में से 9/51 हिस्सा अर्थात 0.03 बिस्वा चा0दो0 , 582/830 रकबा 0.11 हे0 बा0प्र0सालिम किता दो रकबा 0.12 बिस्वा दर्ज खाता संख्या

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

268, 259 जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार वाके ग्राम देवता तहसील किशनगढबास का काबिज काश्त खातेदार है एवं पारिवारजन सहखातेदारान का नाम हजफ कराकर बाद दुरूस्ती अपने नाम का अंकन सालिम रकबा पर बतौर खातेदार दर्ज कराने का अधिकरी है। ब– करार दिया जावे कि मौजूदा जमाबंदीयात में जो अंकन सहखातेदार/परिवारजन का दर्ज किया हुआ है, खिलाफ कानून खिलाफ मौका कब्जा है, हकूक वादी के विरूद्व नल एण्ड वाईड है। काबिल दुरूस्ती है। जिस इन्द्राज खातेदारी को हजफ कराया जाकर मुताबिक पारिवारिक समझौता दिनांक 15.2.2013 के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर खातेदार दर्ज कराया जावें।

स–दीगर न्यायोचित दारदसी जो अदालत श्रीमान उचित समझें। अता फरमायी जावें।

दावा प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा प्रतिवादी को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया । प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नही । जिसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने साक्ष्य में पी.डब्लू. –1 स्वयं का शपथ पत्र, पीडब्लू–2 कवर सिंह, पीडब्लू–3 दिनेश कुमार के ब्यान कराये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वादी ने प्रदर्श–1 हाल जमाबंदी संवत 2076–79, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत–2076–79, प्रदर्श–3 पारिवारिक समझौता असल दिनांक 15.2.13 प्रदर्श–3ए पारिवारिक समझौता की छाया प्रति पेश की है । आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान मे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई। वादी व प्रतिवादी पैरोकार उपस्थित। वादी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में संलग्न जमाबंदीयात एवं असल पारिवारिक समझौता दिनांक 15.2.13 से साबित होता है कि आराजी ख0न0 558 रकबा 0.21 में से 9/51 हिस्सा अर्थात 0.03 बिस्वा चा0दो0 , 582/830 रकबा 0.11 हे0 बा0प्र0सालिम किता दो रकबा 0.12 बिस्वा दर्ज खाता संख्या 268, 259 जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार वाके ग्राम देवता तहसील किशनगढबास में दीगर परिवारजन सहखातेदारान का नाम हजफ कराकर बाद दुरूस्ती वादी के नाम का अंकन किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है।

अतः आदेश है किः–

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी ख0न0 558 रकबा 0.21 में से 9/51 हिस्सा अर्थात 0–03 बिस्वा चा0दो0 , 582/830 रकबा 0.11 हे0 बा0प्र0सालिम किता दो रकबा 0–12 बिस्वा दर्ज खाता संख्या 268, 259 जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार वाके ग्राम देवता तहसील किशनगढबास में मुताबिक पारिवारिक समझौता दिनांक 15.2.13 के अनुसार दीगर परिवारजन सहखातेदारान का नाम हजफ किया जाता है तथा वादी को काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है । तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार रहे। निर्णय सरेआम सुनाया गया ।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मुख्यालय ईस्माईलपुर)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
160/21	28.10.21	15.12.21

उनवान

1.अजय चौधरी पुत्र श्री हीरालाल चौधरी जाति जाट निवासी नीमलाका तह0 कोटकासिम हाल निवासी किशनगढबास तह0 किशनगढबास अलवर राज0 :– वादीः–

बनाम

2. राज0 सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राज0

:–प्रतिवादीः–

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0

पर्चा डिक्री

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी ख0न0 558 रकबा 0.21 में से 9/51 हिस्सा अर्थात 0–03 बिस्वा चा0दो0 , 582/830 रकबा 0.11 हे0 बा0प्र0सालिम किता दो रकबा 0–12 बिस्वा दर्ज खाता संख्या 268, 259 जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार वाके ग्राम देवता तहसील किशनगढबास में मुताबिक पारिवारिक समझौता दिनांक 15.2.13 के अनुसार दीगर परिवारजन सहखातेदारान का नाम हजफ किया जाता है तथा वादी को काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है । तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार रहे। निर्णय सरेआम सुनाया गया ।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)